**SIGNATURE GLOBAL®**
MAKING INDIA AFFORDABLE
AN ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2018 CERTIFIED COMPANY

**RERA REGISTRATION NO.: RC/REP/HARERA/GGM/386/118/2020/02**
**(www.haryanarera.gov.in)**

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. **PF-27/48921** और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट **tcpharyana.gov.in** पर उपलब्ध हैं)

## प्रोजेक्ट के विवरण

| | |
|---|---|
| 1. कॉलोनाइज़र/डेवलपर | सिग्नेचर इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति | लाइसेंस नं./वर्ष – 121 of 2019 दिनांकः 14-09-2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथिः 26.12.2019 मेमो न.: ZP-1359/AD(RA)/2019/31954. |
| 3. स्थान | सेक्टर 89, गुरुग्राम, हरियाणा। |
| 4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान | हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 4.73125 एकड़ में कुल 690 अपार्टमेंट में से 25 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ: 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी–सह–क्रेश। |

**5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम**

अपार्टमेंट के विवरण

| कैटेगरी (टाइप) | यूनिट की संख्या | कारपेट एरिया | | बाल्कनी एरिया | | अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)* | आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%** | एलॉटमेंट पर 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्गफुट (लगभग) | वर्गमीटर (लगभग) | वर्गफुट (लगभग) | वर्गमीटर (लगभग) | | | |
| 2BHK TYPE -01 | 9 | 581.396 | 54.013 | 83.873 | 7.792 | 2,525,736 | 1,22,093 | 5,09,341 |
| 2BHK TYPE -02 | 15 | 588.586 | 54.681 | 85.176 | 7.913 | 2,557,237 | 1,23,603 | 5,15,706 |
| 2BHK TYPE -03 | 1 | 598.220 | 55.576 | 86.801 | 8.064 | 2,599,325 | 1,25,626 | 5,24,206 |

**पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त

देय शेष राशि परियोजना के निर्माण लिंक भुगतान योजना के अनुसार देय राशि के बराबर होगी जैसा कि प्रासंगिक समय पर निर्माण चरण के संदर्भ में लागू होता है

| | |
|---|---|
| 6. पार्किंग | प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग। |
| 7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण | • फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिज़ाइन किया गया है। |
| 8. आवेदन की समय सीमाएँ | • दिनांक 10.12.2021 से ई–ड्रा द्वारा आवास इकाइयों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने के लिए टीसीपी वेबसाइट (https://edraw.tcpharyana.gov.in/tcp-dms/home) पर ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: 7053–121–121 • आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथिः 24.12.2021 है। |

**योग्यता :** 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा। 4. आवंटन के लिए आवेदन जमा करते समय सहायक शपथ पत्र और पात्रता का प्रमाण पत्र टीसीपी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।

**आवंटन के मानक :** 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।

REGISTERED RERA REGISTERED

SIGNATURE GLOBAL Proxima II
SECTOR-89, GURUGRAM

HAR PARIVAR EK GHAR

**SIGNATURE INFRABUILD PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2013PTC247676**
Regd. Office: Unit No. 1310 At 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER: HDFC HOME LOANS | pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat | IIFL Home Loans | ICICI Bank Home Loans khayaal aapka

Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website https://haryanarera.gov.in/. Journey time shown, if any, is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable, T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft.

7053-121-121